Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध GCMS NO. 2022/164 बअनवान सोनाराम वगैरा बनाम अचलाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18/3/026.	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की अस्थई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात हैं कि ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 2316 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 2316/3813 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 2317/3819 रकबा 0.31 हैक्टर कुल खसरा–03 कुल रकबा 1.03 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 06 एवं स्व. छोगाराम की पत्नि पिंकी व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की माता जमनो पत्नि राजाराम के संयुक्त सह खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण की दलील हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 से 05 प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि का हासल नहीं देते है, तथा काश्त नहीं करने देते है। इसलिये प्रस्तुत विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। चूँकि भूमि स्व. राजाराम के समस्त वारिशान के नाम संयुक्त सह खातेदारी दर्ज है, तथा विधिक प्रावधानो के अनुसाार अविभाविज संयुक्त सह खातेदारी भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का ईन्च–ईन्च भूमि पर काश्त व कब्जा माना जाता है। प्रार्थीगण ने रिकार्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन का वाद भी पेश कर दिया है। प्रार्थीगण का मुख्य अनुतोष विभाजन का है, जो वाद में विभाजन की डिक्री से ही संभव होगा। अविभाजित संयुक्त सह खातेदारी भूमि के संबंध में रेकर्ड में दर्ज अन्य सह खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओ यथा– प्रथम दृष्ट्या मामला बनना, सुविधा का सन्तुलन, अपुरणीय क्षति पर प्रकरण का परीक्षण करने पर भी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)